अपलोड / ईमेल

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(29)खा.वि./आवंटन/2024–02560 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,

जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान की अवधि बढाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2024, 30.041.2025, 27.02.2025, 26.03.2025 एवं 30.04.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो के क्रम में लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानुसार गेहू का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित मापदंड "राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची– 1" में 1. परिवार जिसमे कोई आयकर दाता हो, 2. परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओ में कर्मचारी/ अधिकारी हो, 3. एक लाख से अधिक वार्षिक परिवार आय हो एवं 4. परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकापार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मलित है।

निर्देशानुसार उक्त मापदंडो में आने वाले लाभार्थियों से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु GIVE UP अभियान की अवधि दिनाक 30 जून, 2025 तक बढ़ायी जाती है।

अतः उक्तानुसार GIVE UP अभियान सम्बन्धी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी/ व्यापक प्रचार – प्रसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक लोगो को प्रेरित कर अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ब्रहम लाल जाट)

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1– विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर ।

3–समस्त, जिला कलेक्टर (रसद), राजस्थान ।

4– एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं समस्त को इ–मेल करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Brahm Lal Jat

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.30 17:18:15 IST

Reason: Approved